न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)
वाद सं0 : 187 सन 2019
अनवान :–

1. कुलदीप सिह पुत्र गुरमेलसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गुरमेल सिह पुत्र बक्शीसिह जाति जटसिख निवासी 7–9आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. जसविन्द्रसिह पुत्र गुरमेलसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 16.8.19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 7 आरपीएम के खाता संख्या 17/17 के कुल किता 10 की कुल 1.8970हैक्ट व रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 39/35 की कुल 1.2144हैक्ट भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेलसिह के नाम से दर्ज है । वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने के कारण पैतृक हिन्दु खानदान की भूमि है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एवं प्रतिवादी सांख्या 1 , 3 ने वाद भूमि का परिवारिक समझौता कर रखा है जिसके अनुसार वाद भूमि रोही मोजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.8970हैक्ट वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पास यथावत रहेगी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 अपने परिवारिक समझौता के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के हकों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहाँ की वादी के हकों की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहाँ तो प्रतिवादी कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु बाद में ईन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 , 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जो उसे अपने पिता के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 3 के परिवारिक बंटवारा के अनुसार रोही मौजा चक 7 आरपीएम की 1.8970हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 को दी गई है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व चक 6 आरपीएम की भूमि प्रतिवादी सख्या 1 के पास यथावत रहेगी इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी का भाई है ने निवेदन किया की बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 7 आरपीएम के खाता संख्या 17/17 के कुल किता 10 की कुल 1.8970हैक्ट व रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 39/35 की कुल 1.2144हैक्ट भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेलसिह के नाम से दर्ज है ।

Scanned with CamScanner

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने के कारण पैतक हिन्दु खानदान की भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एवं प्रतिवादी सांख्या 1 , 3 ने वाद भूमि का परिवारिक समझौता कर रखा है जिसके अनुसार वाद भूमि रोही मोजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.8970हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 6 आरपीएम की भूमि प्रतिवादी सख्या 1 के पास यथावत रहेगी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 अपने परिवारिक समझौता के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है वाद भूमि परिवारिक बाहमी बटवार के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा पेरोकार राज को भी किसी प्रकार का ऐतराज नही है ना ही राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी होती है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड ,उपनिवेनशन विभाग की पर्चा खतौनी सम्वत 2029 से 2038 रोही मौजा चक 7 आरपीएम के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बक्शासिह पुत्र मगरसिह के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज थी इसी प्रकार पर्चा खतौनी रोही मौजा चक 6 आरपीएम के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बक्शासिह वल्द मगरसिह के नाम से दर्ज थी। वादी के दादा बक्शासिह पुत्र मगरसिह का देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से पूर्णत्या साबित है ।

उपरोक्त रिकार्ड से साबित है कि वादी के दादा बक्शासिह पुत्र मगरसिह के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार दादा की सम्पति में पौता/पोतीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 3 का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी के कथन है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के मध्य परिवारिक बाहमी बटवारा हो चुका है जिसमें चक 7 आरपीएम की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 एवं चक 6 आरपीएम की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसका बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसके मुताबिक चक 7 आरपीएम की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को प्राप्त हुई है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ने भी निवेदन किया की वाद भूमि परिवारिक बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 , 3 के स्वीकार करने एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर पैतृक सम्पति साबित होने के कारण एवं पेरोकार राज के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज नही करने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 3 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.8970हैक जों प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है चक 6 आरपीएम की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथवत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.8.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

जबाब स्टेट

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

नोहर ।

कुलदीपसिह · **बनाम** **गुरमेलसिह आदि**

वाद अन्तर्गत 53 आरटीएक्ट
एल0आर0एक्ट

श्रीमान जी ,

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में अप्रार्थी 2 का जबाब दावा निम्नप्रकार से है।

1. यह कि वाद की मद संख्या 1 में वाद के शीर्षक/पता का विवरण अंकित है
2. यह कि वाद की मद संख्या 2 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुश्तकरका खातेदार होना जमाबन्दी की हद तक स्वीकार है
3. यह कि वाद की मद संख्या 3 में वाद भूमि का विवरण अंकित है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की हद तक स्वीकार है।
4. यह की वाद की मद संख्या 4 में अंकित तथ्य कानुनी है।
5. यह कि वाद की मद संख्या 5 में अंकित तथ्य कानुनी है वादीगण स्वय साबित करे।
6. यह कि वाद की मद संख्या 6 में अंकित तथ्य कानुनी है।
7. यह कि वाद की मद संख्या 7 मे अकित कानूनी है
8. यह कि वाद की मद संख्या 7 में अकित तथ्य कानूनी है।
9. यह कि वाद की मद संख्या 8 कानूनी है।

जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी ने वाद भूमि पुश्तैनी (दादालाई) होने का कथन कर अपने हकों की घोषणा का वाद पेश किया गया है वादी स्वय साक्ष्य सबुतों पेश कर वाद भूमि दादालाई होना साबित करें । वाद का निस्तारण राज्यहकों को सुरक्षित रखा जाकर किया जाना उचित है।

पेरोकार राज
तहसीलदार नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. कुलदीप सिह पुत्र गुरमेलसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 गुरमेल सिह पुत्र बक्शीसिह जाति जटसिख निवासी 7–9आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. जसविन्द्रसिह पुत्र गुरमेलसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 187 सन 2019 निर्णय दिनांक– 16.8.19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 17 / 17 की कुल 1.8970हैक जों प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है चक 6 आरपीएम की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथवत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.8.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner